छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी, 2018 सत्र

वित्तीय वर्ष 2018—2019 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या — 55, 34

मांग संख्या — 17, 26, 37

मांग संख्या — 39, 56, 31, 50

मांग संख्या — 18, 43 से संबंधित

भाग - चार

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	**श्रीमती रमशिला साहू**	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
		34	समाज कल्याण
2.	**श्री दयालदास बघेल**	17	सहकारिता
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		37	पर्यटन
3.	**श्री पुन्नूलाल मोहले**	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
		56	ग्रामोद्योग
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
4.	**श्री भईयालाल राजवाड़े**	18	श्रम
		43	खेल और युवक कल्याण

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी, 2018 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – चार में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
18. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
19. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
20. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
21. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
22. श्री दीपक बैज, सदस्य
23. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
24. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
25. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
26. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
27. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
28. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य

मांग संख्या – 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 10,19,58,31,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति की समुचित कार्ययोजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति की समुचित कार्ययोजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ियों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वेतनमान में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में मितानिनों की मांग को शासन द्वारा पूरा किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से रोकथाम हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में रेडी–टू–ईट प्रदाया योजना में हो रही आर्थिक अनियमितता को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(6) अभनपुर क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चांपा नगर के आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(2) जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के चाम्पा नगर, के पिछले एक वर्षो से बिना कार्य के कार्यरत प्रशिक्षित मितानिनों को कार्य उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) अमृत दूध वितरण में हो रही गड़बड़ियों को रोकने एवं शुद्ध दूध उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में मितानिनों की मांग अनुरूप शासन द्वारा उन्हें टार्च सायकल आदि उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर विधान सभा में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सर्वसुविधा युक्त भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति हेतु समुचित कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अमृत दूध योजना के सफल क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं ताजा भोजन सही ढ़ग से वितरित करने का उल्लेख नहीं है।
(3) कुपोषण से मुक्ति के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में कुपोषण समाप्त करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) अधिक आबादी वाले शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये आगंनबाड़ी केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) आंगनबाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(7) शासकीय सहायता प्राप्त स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को विक्रय एवं मार्केटिंग हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
(8) मरवाही विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आगंनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

8. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में बच्चों के कुपोषण दर को नियंत्रित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

10. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे घटिया पोषण आहार पर नियंत्रण किए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के मितानिनों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(3) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(5) कुपोषण की समस्या को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

12. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

13. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जिनकी 20 वर्ष की सेवा अवधि हो गयी है तथा आयु 50 वर्ष हो उन्हें सीधे पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली पानी एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) चित्रकोट विधानसभा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईधन के लिए गैस चूल्हा एवं सिलेंडर प्रदाय करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर जिले में कुपोषण के रोकथाम के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।

16. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता सुधारने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

17. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कार्यरत रसोईयों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ रहे बाल अपराध को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में मितानिनों के मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में बाल श्रमिकों की हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(4) रेडी–टू–ईट योजना के क्रियान्वयन में हो रही अनियमितता को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले पूरके पोषण आहार एवं रेडी–टू–ईट को गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में शिशु मृत्यू दर को कम करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश में महिलाओं की उत्पीडन की घटनाओं को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के उपयों का उल्लेख नहीं है।
(9) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक आंगनबाड़ी केन्द्रों में अहाता निर्माण, पेयजल एवं विद्युत प्रदाय करने में सरकार असफल रही है।

मांग संख्या – 34

समाज कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 1,04,12,51,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नियमित पेंशन के भुगतान का उल्लेख नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के निराश्रित नागरिकों हेतु आश्रम निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग शिविर आयोजित करने दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर देने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के दिव्यांगो को शासकीय नौकरी में सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी निःशक्तजनों दिव्यांगों को ट्राईसिकल एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पंजीकृत विकलांगों के पुनर्वास की योजना का समुचित प्रावधान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्तजन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी निःशक्तजनों, दिव्यांगों को ट्राईसायकल एवं कृत्रिम अंग तथा सौर ऊर्जा ट्राईसायकल देने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में अशक्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर नगद भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के निःशक्त विकलागों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की हेतु प्रावधान नहीं है।
(5) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को नियमित पेंशन भुगतान की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही विधानसभा के ग्राम निमधा में सामाजिक विकास एवं खेलो को प्रोत्साहन देने स्टेडियम बनाने का उल्लेख का उल्लेख नहीं है।
(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
(3) जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है ऐसे वृद्धा विकलांगों एवं विधवाओं को पेंशन का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

निःशक्त दिव्यांगों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सूरजपुर जिले में बहुउद्देश्य विकलांग पुर्नवास केन्द्र स्थापना किए जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में निराश्रित, विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन की राशि में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) दंतेवाडा जिले के सभी स्थायी एससी/एसटी वर्ग विकलांगों के लिए सरकार के द्वारा उनेक सुरक्षा की गारंटी तथा अधिकतम 10 लाख तक का बीमा किए जाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) दंतेवाडा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त होने वाले लोगों को राहत देने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सफल क्रियान्वयन में सरकार असफल रही है।
(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सूची के आधार पर चयन की बाध्यता को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सामाजिक पेंशनधारियों के पेंशन में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महिला कमान्डों या भारतमाता वाहिनी के लोगों को मानदेय प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश से हो रहे पलायन को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के मितानिनों को सायकल प्रदाय किए जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(7) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का लाभ दिए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 17

सहकारिता

मतदेय राशि रूपये 1,82,98,81,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचन समयावधि में कराने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों का शत–प्रतिशत धान सोसायटियों द्वारा खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में बढ़े पैमाने पर धान खरीदी में अनियमितताएं हुई है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रहीं है।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के धन खरीदी केन्द्रो में चबूतरा एवं शेड निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सेवा सहकारी पौधे मर्यादित के किसानों को उसके द्वारा जमा लिया गया पैसे का ब्याज देने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में किसानों का शत प्रतिशत धान सोसाटियों से खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में उपार्जित एक–एक दाना धान क्रय करने का प्रावधान नहीं है।
(2) मेरे विधान सभा क्षेत्र में धान खरीदी में गड़बड़ी को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(3) किसानों के एक–एक दाना धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम भैंसमुड़ी विकास खंड नवागढ़ में पूर्व में संचालित धान खरीदी केंद्र प्रारंभ करने उल्लेख नहीं है।
(2) समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को भुगतान प्राप्ति के लिए बार–बार बैंक का चक्कर लगाने के बावजूद भुगतान नहीं मिल रहा है।
(3) चांपा एवं जांजगीर नैला शहर में राशन दुकाने आबादी के अनुरूप नहीं होने से उपभेक्ताओं को लंबी दूरी तय करने निराकरण का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शंकरगढ़ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्थापना का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोहला–मानपुर वि.ख. क्षेत्र के परसाटोला में धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) मोहला–मानपुर क्षेत्र के गोपलीन चुना में धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) मोहला मानपुर क्षेत्र के भार्रो में धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 300 रूपये बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में किसानों को 2100 सौ रूपये धान के समर्थन का उल्लेख नहीं है।
(6) मोहला–मानपुर विधान सभा क्षेत्र के औंधी में सेवा सहकारी समिति साख खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दंतेवाड़ा के किसानों को शत प्रतिशत बोनस राशि के वितरण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के प्रोत्साहन हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है।

11. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

12. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) नये उप धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उल्लेख नहीं है।

13. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मक्का खरीदी में पंजीयन प्रथा लागू करने का उल्लेख नहीं है।
(2) धान/मक्का–लोडिंग/धान लोडिंग –बोरा सिलाई आदि रेट बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(3) धान/मक्का खरीदी में किये गये गड़बड़ी को जांच करने एवं रोकने का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर विधान क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत बगावन्ड /जैवेल में खाद्य गोदाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(5) जिला बस्तर में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(6) किसानों से एम–2 दान–धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।
(7) बस्तर क्षेत्र में शक्कर कारखाना स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सहकारी शक्कर कारखाने से घट रहे उत्पादन को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों का उत्पादन बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सूरजपुर जिले में नवीन सहकारी केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 42,32,81,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छत्तीसढ़ी फिल्म विकास निगम के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) छत्तीसगढ़ी बोली को राजभाषा के रूप में 8 वीं अनुसूची में जुड़वाने हेतु सरकार की पहल का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के स्थानीय कलाकारों के मानदेय /सम्मान राशि में वृद्वि का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ी लोक कला के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान का अभाव है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के कलाकारों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के स्थानों की खुदाई करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) राजिम तीर्थ स्थल के धार्मिक पुरातात्विक महत्व को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने हेतु राजिम कुंभ में कोई भी उल्लेखनीय आयोजन नहीं किया जा रहा है।
(4) पुरखौती मुक्तांगन में प्रदेश की सभी तहसीलों की संस्कृति एवं परम्परा को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।
(5) प्रदेश के लोक कलाकारों को विभिन्न आयोजनों में पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है।
(6) प्रदेश के कलाकारों को पर्याप्त मानदेय प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में आयोजित संगीत महोत्सवों में अन्य राज्यों के कलाकारों का कार्यक्रम ज्यादा हो रहा छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

6. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चाम्पा के हसदो महोत्सव कार्यक्रम को राज्य शासन द्वारा घोषित महोत्सव में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के स्थानीय एवं ग्रामीण कलाकारों के उत्थान के लिए योजना बनाये जाने में सरकार विफल रहीं है।

8. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की आदिवासी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन व उसके विकास कार्यो का उल्लेख नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर जिले में स्थित पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के उपाय का उल्लेख नहीं है।

10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान नहीं है।
(2) बस्तर में समस्त कलाकरों को मानदेय प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
(3) पुरातात्विक महत्व में स्थानों के संरक्षण का प्रावधान नहीं है।
(4) बस्तर के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने एवं आर्थिक उत्थान करने का प्रावधान नहीं है।
(5) प्रदेश के सभी ऐतिहासिक /पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(6) बस्तर संभाग के प्राचीन धरोहर व पुरातत्व मन्दिर व अन्य देव स्थलों में जीर्णोधार व मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कला, संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

12. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के कलाकरों को उचित सम्मान नही किया जा रहा है।
(2) प्रदेश के प्राचीन धरोहर व पुरातत्व मंदिर व अन्य स्थलों के जीर्णोधार व मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

13. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के लोक कलाकरों को उचित संरक्षण देने में सरकार असफल रही है।

मांग संख्या – 37

पर्यटन

मतदेय राशि **रूपये 59,00,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री टी.एस. सिंहदेव : नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण का प्रावधान नहीं है।
(2) पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम बाराडेरा (विकास खण्ड आरंग) स्थित सतनामी समाज के धर्म स्थल स्थित पुरातन तालाब को भरने के लिए मांढर शाखा फीडर नहर का प्रावधान नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल चंपारण में यात्रियों के ठहरने हेतु मोटल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम चंडी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, लेकिन इस स्थान पर पर्यटन विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
(3) चंपारण के विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही के ग्राम धनपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा शोध कराये जाने एवं उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) रतनपुर अमरकंटक एवं केंवची मे ंपर्यटन के लिये प्राइवेट व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नवीन पर्यटनों स्थलों के चयन चिन्हांकन के कार्यों का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर जिले के पर्यटन क्षेत्रों के विकास एवं सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित मंडीप खोल को बजट में पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत विकासखंड छुईखदान के ग्राम बगदूर (जीराटोला पंचायत) में स्थित जय डोगेश्वर महादेव चोड़राधाम के सौन्दर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकास खंड बकावंड व बस्तर के बैतझरना छुदकाबेड़ा तोग कोंगेरा, झरना, मछोला कुन्ड बोघरा ग्ग्रमों को पर्यटन क्षेत्र बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के प्राचीन पर्यटन स्थलों में समूचित विकास का संरक्षण का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के वनांचाल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रावधान नहीं है।
(4) बस्तर में पुरातात्विक धरोहर की संरक्षण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
(5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर विकासखंड बकावण्ड के ग्राम डुरकाबेड़ा में बेतझरन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धार्मिक न्यास विभाग से छत्तीसगढ़ की अस्मिता ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में निर्माण कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
(3) सोनकुण्ड तीर्थ स्थल के सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

12. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी जिले में पर्यटन क्षेत्रों के विकास की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

13. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
(2) संजारी–बालोद विधानसभा में पर्यटन स्थलों के विकास की समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोंगरा जलाशय को पर्यटन के दृष्टि से सौन्दर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) अम्बागढ़ गुफा एवं मंदिर दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासन द्वारा घोषित पर्यटन स्थल ग्राम पीथमपुर के विकास की कोई योजना बनाकर आवंटन करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर के पर्यटन स्थलों का उत्थान एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है।

मांग संख्या – 39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 22,79,49,96,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) किसानों को खरीफ वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों को वितरण एवं उपलब्धता सुनिशचित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को धान का 2100 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों को बकाया बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(2) किसानों को धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रत्येक किसान जिसके पास भू–स्वामी हक का पट्टा है के धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर क्षेत्र में बरसात के समय पीडीएस खाद्यान्न की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उल्लेख नहीं हैं।
(5) मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(6) वास्तविक राशन कार्डधारियों को राशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों को अभी तक बकाया 2 साल के बोनस के भुगतान का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के नागरिकों के आधार कार्ड बनाये जाने हेतु समुचित सरलीकृत प्रक्रिया के संचालन क्रियान्वयन की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) दंतेवाडा जिले में कृषि वनोपज सहित खाद्य प्रसंस्करण आधारित औद्योगिक वातावरण बनाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के गरीब परिवारों को 35 किलो चांवल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के किसानों को धान का बोनस देने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में पूरे 5 वर्ष का धान का धान का बोनस वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बी.पी.एल. परिवारों को नये राशन कार्ड प्रदाय की योजना का उल्लेख नहीं है।

13. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के जरूरतमंदो के काटे गये राशन कार्डो को पुनः नये राशन कार्ड जारी करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन में पुनः रिफिलिंग कराने हेतु गरीबो के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कीमत में कटौती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(5) पी.डी.एस. योजना में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है तथा खाद्यान्न की बढ़ती किमतों में नियंत्रण करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के किसानों को धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल प्रति वर्ष दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायतों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु भवन निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।

16. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पी.डी.एस के खाद्यान्न वितरण में हो रही कालाबाजारी पर नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

17. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजपुर में डबल लॉक खाद गोदाम निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के किसानों को धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल प्रति वर्ष दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिन गरीबो का राशन कार्ड निरस्त किया गया है उन्हें पुनः जारी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में नये राशन कार्ड सरल प्रक्रिया से बनाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) पी.डी.एस. में हो रही कालाबाजारी को रोकने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के किसानों को विगत चार वर्षो का धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

20. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला–मानपुर क्षेत्र के गोंदाकोड़ी में खाद्य गोदाम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 56

ग्रामोद्योग

मतदेय राशि **रूपये 1,07,09,02,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 48

1. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग स्थापित कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश का एक मात्र भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के 10 वर्षो से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में पूर्व में संचालित जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं सिवनी (चांपा) के शासकीय धागाकरण केन्द्र में कोसा धागाकरण नहीं किए जाने के कारण बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के नए बुनकरों को जोडने हेतु आदिवासी अंचल बस्तर संभाग में प्रशिक्षण नहीं मिलने से बेरोजगार हुए हजारों बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(4) चांपा में प्रस्तावित हैण्डलूम पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
(5) शासन द्वारा कोसा क्षेत्र के बुनकरों के लिए उत्पादन हेतु शासकीय आदेश जारी करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषि आधारित उद्योग लगाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बुनकर को आवास सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश सरकार ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपय 38,29,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

1. **श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के निर्वाचित विधायकों की जनसंपर्क राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधायको के विधायक निधि में वृद्धि करने के लिए प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में निर्वाचित विधायकों की जनसंपर्क राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधानसभा क्षेत्र विकास निधि 1 करोड को 5 करोड किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश में मंहगाई रोकने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की विधायक निधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,62,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दंतेवाडा जिले में 20 सुत्रीय क्रियान्वयन के तहत् प्रावधानित कार्यो की समीक्षा का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 18

श्रम

मतदेय राशि रूपये 1,74,58,37,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के निजी क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक विकास की ठोस योजना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) असंगठित एवं भवन सन्निर्माण कर्मकार श्रमिकों के पंजीयन कराने एवं हितग्राहियों की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों का भारी शोषण हो रहा है, न्याय दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चाम्पा औद्योगिक क्षेत्र है यहां श्रमिक भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर जिले से मजदूरों के पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों की उनके कार्य के दौरान दुर्घटना होने, अपंगता/मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजन को मुआवजा/ नौकरी देने जैसे स्थायी उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के श्रम कानूनों के लगातार हो रहे उल्लंघन की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के पढ़े–लिखे युवक रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन कर रहे है। उन्हें रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सीमेंट संयंत्रों में जमीन देने वाले किसानों एवं उनके परिजनों को अनिवार्य रूप से नौकरी प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) सीमेंट संयंत्रों में स्थानीय बेरोजगारों एवं जमीन देने वाले लोगों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(3) उद्योगों में लगे मजदूरों के हितों का संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला–मानपुर विधान सभा क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि **रूपय 69,59,47,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 09

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) जिला सरगुजा के हॉकी स्टेडियम को एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनाने का उल्लेख नहीं है।
(4) जिला सरगुजा विकासखण्ड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत डिगना में शिव मंदिन ग्राउंड में स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायत जातावाड़ा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम पंचायत सम्बलपुर में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर संभाग में खेल स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

3. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोटा विकासखण्ड शिवतराई ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों के लिये खेलने हेतु खेल मैदान उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत नवागढ़ स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(2) चाम्पा में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम देवरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम तुर्रेगढ़ में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में खेलों की सुविधाएं बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छाल, हाटी, तावापारा, टेण्डा में मिनी स्टेडियम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान एवं स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) रामानुजगंज में स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

12. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सार्वजनिक उद्यान एवं खेल मैदान बनाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम सकोला, विकासखण्ड पेण्ड्रा की कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की छात्राओं ने जिमनास्टिक में प्रदेश का नाम रौशन किया । उन्हें जिमनास्टिक की उच्चस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) खेलों के समुचित विकास करने का उल्लेख नहीं है।
(3) राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता को आयोजित करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बकावण्ड अंतर्गत ग्राम छोटे देवड़ा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बकावण्ड अंतर्गत ग्राम सोनपुर में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

15. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का का उल्लेख नहीं है।

16. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजपुर में स्टेडियम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) राजपुर के घोरघडी, लाऊ, भेस्की, खोड़रो, भेलाईखुर्द, पतरापारा एवं अमदरी में खेल मैदान निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।